

**Punishment order by Divisional Safety Office Eastern Railway, Dhanbad**

3987. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Divisional Safety Officer, Eastern Railway, Dhanbad has imposed various types of punishments to large numbers of Stations Masters, Asstt. Station Masters, Guards etc.;

(b) if so, the details of punishments so imposed by Divisional Safety Officer and Asstt. Officiating Superintendent (G), Eastern Railway, Dhanbad on various categories of State belonging to Operating Department of Dhanbad Division from January to August, 1982;

(c) whether there has been any violation of Railway Board's circular No. E(D&A)72RG6-13 dated 16 October, 1973; and

(d) if so, the action proposed to be taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.

(b) The details of punishment imposed during the period from January to August, 1982 by the Divisional Safety Officer and Asstt. Operating Superintendent (G), Dhanbad as Disciplinary authority in terms of Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 are as under:

Nature of punishment	Imposed by Divl. Safety Officer, Dhanbad	Imposed by Asstt. Optg. Supdt.(G), Dhanbad.
(1) Removal from service . . . . .	1	Nil
(2) Reversion to lower post . . . . .	1	Nil
(3) Stoppage of increment . . . . .	58	45
(4) Stoppage of privilege passes/PTOs . . . . .	62	67
(5) Censure . . . . .	30	9

(c) No.

(d) Does not arise.

(c) if so, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**Grant for school building in Andaman**

3988. SHRI D. S. A. SIVAPRAKASAM: Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Education Department in Andamans has promised to Tamil speaking people to give an open ground to build a school for them;

(b) if so, whether Government have not handed over the ground as yet; and

मुगलसराय में डा० शम्भूदेकर की प्रतिमा का कथित रूप से हटाया जाना

3989. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू सैन्ट कालोनी के लगे मुगलसराय (बिजली घर

में) स्थापित डा० भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा रेलवे विभाग द्वारा पुलिस की सहायता से हटाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रेलवे यादों अथवा अन्य रेलवे कालोनियों में कितनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और कितने पूजास्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा) बने हुए हैं ; और

(घ) क्या उन्हें हटाने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) और (ख) 24-4-81 को अनुमति प्राप्त किए बिना या सम्बन्धित भूमि के लिए लाइसेंस लिए बिना स्वर्गीय डा० भीमराव अम्बेदकर की एक प्रतिमा संस्थापित की गयी। एक रेल कर्मचारी, जो अपने आप को तथाकथित अखिल भारतीय अनु० जा० / अनु० जन जाति एसोसिएशन का अध्यक्ष बताता है, ने इस प्रतिमा के साथ-साथ एक छोटा सा अस्थायी ढांचा भी खड़ा कर लिया। कब्जा की गयी भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ है। चूंकि उपरोक्त भूमि पर कब्जा अनधिकृत रूप से किया गया है और उक्त भूमि के प्लॉट की इसके समीप स्थित रेलवे के बिजली सब-स्टेशन और मण्डल कारखाने के विकास और विस्तार के लिए आवश्यकता है, इसलिए प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का विचार है।

(ग) और (घ) देश के रेल परिसरों में स्थापित की गयी प्रतिमाओं और निर्मित पूजा गृहों की संख्या क्रमशः 14 और 2703 है।

रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने से सभी मामलों में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली के लिए कार्रवाई की जाती है जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहाँ प्रतिमाओं और पूजा गृहों की स्थापना के लिए भूमि पर कब्जा किया जाता है।

बालामाड और सीतापुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में भारी भीड़भाड़

3990. श्री राम लाल राहो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य ने वाई एस एस बी उत्तर रेलवे शाखा लाइन में बालामाड और सीतापुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में भारी भीड़भाड़ और रेलवे कर्मियों को होने वाली असुविधा के बारे में 2 दिसम्बर, 1982 को मंत्री को पत्र लिखा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक को गई कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) और (ख) उत्तर रेलवे के बालामाड सीतापुर खंड पर कोकिंग स्टाक की कमी के कारण दो जोड़ी पैसेन्जर गाड़ियों में कुछ भीड़भाड़ रहती है। इस समय संसाधनों की कमी के कारण मांग की पूरी तरह पूर्ति करना सम्भव नहीं है।

धारा-सहसराम लाइन को बचला जाना

3991. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धारा-सहसराम लाइन रेलवे लाइन को श्राव